न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 132/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. स्व. श्री खींवराज पुत्र स्व. श्री किशन उर्फ श्री कृष्ण के कायम मुकाम– 1.1 संजय कुमार पुत्र श्री खींवराज 1.2 विनोद कुमार पुत्र श्री खींवराज 1.3 श्रीमति जियों देवी पत्नी श्री खींवराज सभी जातियान माहेश्वरी, निवासीयान ग्राम देचू तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर। 1.4 श्रीमति भंवरी देवी पुत्री श्री खींवराज पत्नी श्री डूंगरचन्द, जाति माहेश्वरी, निवासी नाथडाउ,तहसील बालेसर 1.5 श्रीमति काजू पुत्री श्री खींवराज पत्नी श्री मुकेश कुमार, जाति राठी माहेश्वरी, निवासी ग्राम चामू तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 1.6 श्रीमति संगीता पुत्री श्री खींवराज पत्नी श्री कमल किशोर, जाति राठी माहेश्वरी, निवासी ग्राम चामू तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर। 1.7 श्रीमति किरण पुत्री श्री खींवराज पत्नी श्री नरेश कुमार, जाति राठी माहेश्वरी, निवासी ग्राम तेना तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर। 1.8 श्रीमति कंचन पुत्री श्री खींवराज पत्नी श्री देवीलाल जी, जाति भूतडा माहेश्वरी, निवासी ग्राम उंटवालिया, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर 2. श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्री श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण, 3. श्री सांगीदास पुत्र स्व. श्री श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण, 4. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र स्व. श्री श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण, 5. श्री रतनलाल पुत्र स्व. श्री श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण, 6. श्री राधेश्याम पुत्र स्व. श्री श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण, समस्त जातियान महाजन, निवासीयानः–ग्रम देचू, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर		1 मृतक बस्तीमल पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल के कायम मुकाम जाति महाजन, निवासी ग्रम देचू, तहसील शेरगढ, हाल निवास मुकाम पोस्टख दन्तेवाडा केयर ऑफ हरिश किराणा स्टोर, आवारा भाठा, जिला दन्तेवाडा छतीसगढ। 1.1 आशा पुत्री स्व.श्री बस्तीमल जाति महाजन, निवासी ग्राम ठिकाना, पोस्ट दन्तेवाडा, आवारा भाठा, जिला दन्तेवाडाछतीसगढ। 1.2 हरिश पुत्र स्व.श्री बस्तीमल जाति महाजन, निवासी ग्राम ठिकाना, पोस्ट दन्तेवाडा, आवारा भाठा, जिला दन्तेवाडा, छतीसगढ। 1.3 नरेश पुत्र स्व.श्री बस्तीमल जाति महाजन, निवासी ग्राम ठिकाना, पोस्ट दन्तेवाडा, आवारा भाठा, जिला दन्तेवाडा छतीसगढ। 1.4 गुड्डी पत्नी श्री सुरेश कुमार राठी निवासी–अमरीकला जिला दुर्ग छतीसगढ। 1.5 दुर्गा पत्नी श्री कालूराम जी गांधी जाति महाजन–ग्राम पोस्ट मुल्तान गिरी, उडीसा। 2. मृतक बद्रीनारायण पुत्र स्व.श्री चुन्नीलाल के कानूनी वारीसान 2.1 श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री बद्रीनारायण निवासी– मु. पो गीदम सुराणा प्रारा गीदम जिला दतेवाडा छतीसगढ। 2.2 श्री पुखराज पुत्र श्री बद्रीनारायण 2.3 श्री रमेशकुमार पुत्र श्रीबद्रीनारायण 2.4 श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री बद्रीनारायण,रेस्पो. सं. 2.2 से 2.4 सभी निवासी–मु.पो.गीदम सुराणा पारा गीदम जिला दतेवाडा छतीसगढ। 2.5 श्रीमति ज्योति पत्नी श्री विकास जी गांधी, पुत्री श्री बद्रीनारायण, मु.पो. कुन्दर देवी जिला दुर्ग छतीसगढ। 2.6 श्रीमति संगीता पत्नी श्री विकास जी गांधी, पुत्री श्री बद्रीनारायण, मु.पो. सुकमा माहेश्वरी मोहल्ला, जिला दतेवाडा, छतीसगढ। 3. देवीलाल पुत्र आईदान महाजन निवासी–देचू तहसील देचू 4. ओमप्रकाश पुत्र किस्तुरचन्द जाति महाजन निवासी देचू तहसील देचू 5. प्रेमराज पुत्र स्व0 किस्तुरचन्द देचू

		जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ 6. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री किस्तुरचन्द महाजन देचू तहसील देचू 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2016 जो राजस्व अपील संख्या 37/2015 अनवान में अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर द्वारा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भरत बूब, अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 1 के का.मु. की ओर से की ओर से एवं अपीलार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से श्री मूलसिंह भाटी, अधिवक्ता।

2– रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बाजवूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित।

3– श्री रविशेखर थानवी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3, 4, 5, 6 की ओर से

4– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 4–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीखनगर में स्थित खसरा संख्या 567 रकबा 107.02 बीघा भूमि के मालिक अपीलान्टगण है जिनके अन्य किसी का कोई हिस्सा/दखल नहीं है और उनकी पुश्तैनी भूमि है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलान्टस के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए जो फौतेदगी नामा0 दिनांक 7.4.1999 को भरा जाकर दिनांक 1.5.1999 को ग्राम पंचायत देचू द्वारा स्वीकृत किया।

अपीलाधीन नामा0 संख्या 103 दिनांक 31.7.2015 जो उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के वाद संख्या 01/2011 निर्णय दिनांक 29.7.2015 को आधार मानकर दिनांक 31.07.15 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामा0 आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस की प्रथम अपील को अपने आदेश दिनांक 27.6.2016 को खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ग्राम भीखनगर में स्थित खसरा संख्या 567 रकबा 107.02 बीघा भूमि के मालिक एवं काबिज अपीलान्टगण है जिनके अन्य किसी का कोई हिस्सा/दखल नहीं है और उनकी पुश्तैनी भूमि है। जो पूर्व से ही उनके पिता स्व. श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण के नाम से सेटलमेन्ट से दर्ज रही है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलान्टस के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। अपीलाधीन नामा0 संख्या 103 जिस आदेश दिनांक 29.7.2015 को ... आदेश दिनांक 29.7.2015 के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

संख्या 62/2015 खीवराज वगैराह बनाम देवीलाल वगैराह प्रस्तुत कर दी थी जिसमें स्थगन आदेश जारी हो रखा था। अपीलान्टस के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलान्टस के नाम फौतेदगी नामा0 दिनांक 7.4.1999 को भरा जाकर दिनांक 1.5.1999 को ग्राम पंचायत देचू द्वारा स्वीकृत किया गया उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। जो जमाबन्दी 2070–73 से स्पष्ट है। अपीलान्टस के द्वारा उक्त भूमि पर सामलाती रूप से विध्युत कनेक्शन ले रखा है और ढाणियां बनी हुई है और कृषि कार्य किया जा रहा है जो बदस्तुर जारी है। अपीलाधीन नामा0 संख्या 103 दिनांक 31.7.2015 को दर्ज व स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिया और सुनवाई का अवसर दिया। राजस्व वाद में आदेश पारित होने के 02 दिन बाद ही नामा0 स्वीकृत कर दिया गया। इन सब तथ्यों का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में उल्लेख किया था परन्तु उन पर कोई गौर नहीं किया गया तथा अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश/निर्णय रेकर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकुल पारित किया है। उक्त कृषि भूमि रहन में रखी हुई होने के उपरान्त भी नामा0 स्वीकृत कर दिया गया। जबकि सर्वमान्य सिद्धान्त के तहत रहन में रखी हुई सम्पति का नामा0 बगैर रहन मुक्ति के नहीं भरा जा सकता। इस बाबत दर्ज हुई एफआईआर 202/2015 पुलिस थाना शेरगढ इस प्रकरण में वर्तमान में अनुसंधान जारी है एवं माननीय उच्च न्यायालय में भी आपराधिक विविध याचिका संख्या 553/16 अनुसंधान हेतु लम्बित है। इसके सम्बन्ध में भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई फाइण्डिंग नहीं दी। एवं जिस बिनाय पर नामा0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया था उसकी अपील लम्बित है। उक्त वाद में पक्षकारान को नोटिस की तामली भी नहीं हुई थी।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 30.6.15 को उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ में दर्ज प्रकरण की जानकारी होने पर अपीलान्टस वहॉ उपस्थित हुए परन्तु रेस्पो0 गैर हाजिर रहे। तत्पश्चात दिनांक 28.7.15 को अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही करने का निवेदन किया। तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 29.7.15 रखी गई। तब उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने कहा की आज की तारीख में प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दूंगा, कल पता कर लेना। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में मिलीभगती कर दिनांक 30.7.15 को ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण का निस्तारण अन्तिम फेसला व डिक्री पारित कर दी गई। जिसमें अपीलार्थीगण की कोई उपस्थिति नहीं लगाई गई और एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। ऐसे में उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से व अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है और तहसीलदार द्वारा भी जल्दबाजी में उक्त आदेश की पालना में दिनांक 31.7.2015 को नामा0 दर्ज कर दिया गया।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इन तथ्यों बाबत अधिनस्थ न्यायालय को अवगत कराया परन्तु कोई गौर नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई अपील के अन्तिम फैसले तक लम्बित रखनी थी और किसी प्रकार का

आदेश पारित नहीं करना चाहिये था। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भतः मामला अपीलान्टस के पक्ष का है, अपीलाधीन नामा0 दर्ज होने से अपीलार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम अपील में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की इस अपील को स्वीकार किया जावें।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की गई राज0 काश्तकारी अपील संख्या 53/2015 में दिनांक 06.12.2021 को पारित निर्णय के द्वारा "उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.07.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलान्टस पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करें।" का निर्णय दिया गया है। जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 3, 4, 5, 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि उक्त नामा0 स्वीकृत करने में तहसीलदार शेरगढ द्वारा क्या अनियमितता की गई/बरती गई। अधिनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा राजस्व वाद में जारी निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार शेरगढ के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 103 दिनांक 31.7.2015 को स्वीकृत किया गया है जो पूर्ण रूप से उचित है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया था कि अपीलार्थीगण को चाहिये था वह उपखण्ड अधिकारी शेरगढ की पालना में नामा0 में स्वीकृत किया गया है। उस आदेश को चुनौती देनी चाहिये थी और अपीलान्टस के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील दायर भी की जा चुकी है और उसमें स्थगन आदेश भी जारी किया गया है और जो भी निर्णय पारित होगा, वह मान्य होगा। अतः अपीलान्ट की प्रथम अपील को खारिज किया जावें।

रेस्पो0 संख्या 3, 4, 5, 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जबकि तहसीलदार शेरगढ के द्वारा पारित नामा0 संख्या 103 एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में तत्समय की परिस्थिति अनुसार निर्णय पारित किया गया है और किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताया एवं उनके न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के द्वारा पारित डिक्री/निर्णय अनुसार स्वीकृत हुए नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने के आधार पर खारिज करने को उचित बताया। और इस आधार पर अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को भी खारीज करने का निवेदन किया ।

प्रति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि जिस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के राजस्व वाद संख्या 01/2011 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.7.2015 की पालना में नामा0 संख्या 103 दिनांक 31.7.15 को स्वीकृत किया था, उक्त पारित निर्णय/डिक्री को राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.12.2021 को अपास्त कर दिया है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.7.2016 को पारित निर्णय अनुसार अपीलान्टस की अपील को खारिज करने एवं नामा0 संख्या 103 दिनांक 31.7.2015 को बहाल रखे जाने को उपरोक्त राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 06.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के द्वारा अपील संख्या 37/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.7.2016 को एवं तहसीलदार शेरगढ के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 103 दिनांक 31.7.2015 दोनों को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 4 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर